

न्यायालय: न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(समक्ष: डी.एस.मण्डलोई)

फौज.प्रकरण क्र. 912 / 08

संस्थित दि.: 31 / 12 / 08

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
परसवाड़ा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

श्यामलाल पिता सालिक राम उर्फ छोटेलाल राहंगडाले,
उम्र 40 साल, जाति पवार, साकिन नेवरगांव चौकी चरेगांव,
थाना लामटा जिला बालाघाट (म.प्र.)

..... आरोपी

—:: निर्णय ::—

(आज दिनांक 20 / 08 / 2014 को घोषित किया गया)

(01) आरोपी पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 का आरोप है कि आरोपी ने दिनांक 07/12/2008 को दिन के करीब 02:00 बजे, बघोली लोकगार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी. 3329 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं सहजल मर्सकोले को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती तथा उक्त वाहन को बिना लायसेंस को चलाते हुए पाया गया।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी योगेश हिनवाने ने दिनांक 7.12.2008 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 07.12.2008 को दिन के करीब 02:00 बजे उसके घर के सामने बघोली लोकमार्ग के पास सहजल मर्सकोले खेल रही थी। बैहर की ओर ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 का चालक श्यामलाल ट्रक को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और सहजल मर्सकोले को टक्कर मार दी। जिससे सहजल की टक्कर लगने से मृत्यु हो गई। फरियादी की मौखिक रिपोर्ट पर से आरोपी श्यामलाल के विरुद्ध आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में अपराध क्रमांक 70/08 अन्तर्गत धारा 279, 337 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी से ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 को जप्त कर आवश्यक विवेचनापूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के अन्तर्गत यह अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

(03) आरोपी को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 304-ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 का अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है ।

(05) आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

(अ) क्या आरोपी ने दिनांक 07/12/2008 को दिन के करीब 02:00 बजे, बघोली लोकगार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया ?

(ब) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 को उपेक्षा एवं उतावलेपन चलाकर सहजल मर्सकोले को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती?

(स) क्या आरोपी ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 को बिना लायसेंस को चलाते हुए पाया गया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ', 'ब' एवं 'स' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ', 'ब' एवं 'स' का एक साथ विचार किया जा रहा है ।

(07) फरियादी योगेश हिरवाने (अ.सा.01) का कहना है कि दिनांक 07.12.2008 को वह उसके घर के सामने आंगन में खड़ा था। उसके पड़ोस की बच्ची सहजल

मर्सकोले उसके घर के सामने पट्टी पर खेल रही थी। बैहर से परसवाड़ा की ओर 407 वाहन को उसका चालक तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और सहजल मर्सकोले को टक्कर मार दी, जिससे सहजल मर्सकोले की मृत्यु हो गई। 407 वाहन को आरोपी चला रहा था। दुर्घटना आरोपी द्वारा 407 वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण हुई थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-01 है एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 है।

(08) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जगदीश (अ.सा.02) का भी कहना है कि घटना के समय वह घर के दरवाजे पर खड़ा था। सहजल उसके घर के दरवाजे के सामने खेल रही थी। बैहर से परसवाड़ा की ओर ट्रक जा रहा था, जिससे सहजल को दबा दिया था। दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी एवं अभियोजन साक्षी विकास पटले (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो तीन वर्ष पुरानी दोपहर के समय बघोली लोकमार्ग की है। सहजल मर्सकोले को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे सहजल मर्सकोले को चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई थी। ट्रक ड्रायवर घटनास्थल पर ही मौजूद था। दुर्घटना ट्रक वाले की गलती से हुई थी।

(09) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी कदयनलाल (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना के समय वह उसके घर के सामने बैठा था। बैहर की ओर से ट्रक बघोली की ओर जा रहा था, ट्रक चालक ने सहजल को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के समय ट्रक आरोपी श्यामलाल चला रहा था। दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी एवं अभियोजन साक्षी कलीबाई (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना के समय वह जंगल से घर आई तो उसने देखा कि रोड के बाजू में उसकी लड़की पड़ी हुई थी। ट्रक खड़ा था, ट्रक का चालक श्यामलाल भी वहां मौजूद था।

(10) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/कायमी कर्ता मुरलीधर कटरे (अ.सा.10) का कहना है कि उसने दिनांक 07.12.2008 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को मर्ग क्रमांक 28/08 अन्तर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. का मर्ग इन्टीमेशन दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-10 है एवं विवेचनाकर्ता कप्तानसिंह उइके (अ.सा.09) का भी कहना है कि उसने दिनांक 07.12.2008 को प्रधान आरक्षक के पद पर रहते हुए मर्ग इन्टीमेशन प्रदर्श पी-07 दर्ज किया था, मृतक सहजल का पंचायतनामा प्रदर्श पी-08 बनाया एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 है। उसने शव परीक्षण आवेदन तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-09 है। घटनास्थल का मौका नक्शा योगेश की निशादेही पर तैयार कर प्रदर्श पी-01 बनाया। आरोपी श्यामलाल से वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 जप्त

कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। साक्षी कलीबाई, जगदीश, विकास, बुद्धन एवं योगेश के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। हितेश के फिटनेस, परमिट एवं बीमा की प्रति जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था तथा अभियोजन साक्षी महेश पटले (अ.सा.11) का भी कहना है कि जप्त शुदा ट्रक का मैकेनिक परीक्षण किया। ट्रक का बड़ा कांच टूटा हुआ था। मैकेनिक जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है।

(11) अभियोजन साक्षी/डॉ. आर.के.नकरा (अ.सा.12) का कहना है कि उसने दिनांक 07.12.2008 को सहजल के शव परीक्षण में दाहिनी भुजा पर कटा हुआ घाव, हड्डी टूट के बाहर हो गई थी, बांयी जांघ भी हड्डी टूटकर बाहर आ गई थी, बांया हाथ भी कटा हुआ था। आहत के शरीर में छः घाव छिले हुए थे। शरीर पर गई जगह कटे हुए घाव थे, बांयी टांग पर भी कटे-फटे घाव होना पाया था। मृत्यु का कारण हड्डी टूट जाने और दुर्घटना के फलस्वरूप होना पाया था। उसके द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-09 है।

(12) किन्तु अभियोजन साक्षी हरिराम (अ.सा.08), नारायण (अ.सा.07), तानक लाल (अ.सा.06) का कहना है कि उनके सामने आरोपी से कोई सामान की जप्त नहीं किया गया था, किन्तु जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 एवं 04 पर उनके हस्ताक्षर हैं।

(13) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है। आरोपी की कोई गलती नहीं थी। आरोपी अपने वाहन को सामान्य गति से चला रहा था। बीमा राशि प्राप्त करने हेतु फरियादी ने पुलिस से मिलकर आरोपी के विरुद्ध असत्य कथनों के आधार पर झूठी रिपोर्ट की है। जप्ती और गिरफ्तारी के गवाह ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(14) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(15) फरियादी योगेश हिरवाने (अ.सा.01) ने स्पष्ट कथन किये हैं कि दिनांक 07.12.2008 को वह उसके घर के सामने आंगन में खड़ा था। उसके पड़ोस की बच्ची सहजल मर्सकोले उसके घर के सामने पट्टी पर खेल रही थी। बैहर से परसवाड़ा की ओर 407 वाहन को उसका चालक तेजी एवं लापरवाही से चलाकर लाया और सहजल मर्सकोले को टक्कर मार दी, जिससे सहजल मर्सकोले की मृत्यु हो गई। 407 वाहन को आरोपी चला रहा था। दुर्घटना आरोपी द्वारा 407 वाहन को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाने के कारण हुई थी। पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी-01 है एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 है। साक्षी के

कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षी के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(16) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी जगदीश (अ.सा.02) ने भी स्पष्ट कथन किये हैं कि घटना के समय वह घर के दरवाजे पर खड़ा था। सहजल उसके घर के दरवाजे के सामने खेल रही थी। बैहर से परसवाड़ा की ओर ट्रक जा रहा था, जिससे सहजल को दबा दिया था। दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी एवं अभियोजन साक्षी विकास पटले (अ.सा.03) का कहना है कि घटना उसके कथन के दो तीन वर्ष पुरानी दोपहर के समय बघोली लोकमार्ग की है। सहजल मर्सकोले को ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे सहजल मर्सकोले को चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई थी। ट्रक ड्रायवर घटनास्थल पर ही मौजूद था। दुर्घटना ट्रक वाले की गलती से हुई थी। साक्षीगण के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(17) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी कदयनलाल (अ.सा.04) का भी कहना है कि घटना के समय वह उसके घर के सामने बैठा था। बैहर की ओर से ट्रक बघोली की ओर जा रहा था, ट्रक चालक ने सहजल को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना के समय ट्रक आरोपी श्यामलाल चला रहा था। दुर्घटना ट्रक चालक की गलती से हुई थी एवं अभियोजन साक्षी कलीबाई (अ.सा.05) का भी कहना है कि घटना के समय वह जंगल से घर आई तो उसने देखा कि रोड के बाजू में उसकी लड़की पड़ी हुई थी। ट्रक खड़ा था, ट्रक का चालक श्यामलाल भी वहां मौजूद था। साक्षीगण के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(18) फरियादी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी/कायमी कर्ता मुरलीधर कटरे (अ.सा.10) का कहना है कि उसने दिनांक 07.12.2008 को आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा में प्रधान आरक्षक के पद पर कार्यरत था। उक्त दिनांक को मार्ग क्रमांक 28/08 अन्तर्गत धारा 174 दं.प्र.सं. का मार्ग इन्टीमेशन दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-10 है एवं विवेचनाकर्ता कप्तानसिंह उइके (अ.सा.09) का भी कहना है कि उसने दिनांक 07.12.2008 को प्रधान आरक्षक के पद पर रहते हुए मार्ग इन्टीमेशन प्रदर्श पी-07 दर्ज किया था, मृतक सहजल का पंचायतनामा प्रदर्श पी-08 बनाया एवं नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श पी-02 है। उसने शव परीक्षण आवेदन तैयार किया था, जो प्रदर्श पी-09 है। घटनास्थल का मौका नक्शा योगेश की निशादेही पर तैयार कर प्रदर्श पी-01 बनाया। आरोपी श्यामलाल से वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-04 बनाया था। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-05 बनाया था। साक्षी कलीबाई, जगदीश, विकास, बुद्धन एवं योगेश

के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। हितेश के फिटनेस, परमिट एवं बीमा की प्रति जप्त कर जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-03 बनाया था तथा अभियोजन साक्षी महेश पटले (अ.सा.11) का भी कहना है कि जप्त शुदा ट्रक का मैकेनिक परीक्षण किया। ट्रक का बड़ा कांच टूटा हुआ था। मैकेनिक जांच रिपोर्ट प्रदर्श पी-06 है। साक्षीगण के कथनों का प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई खण्डन नहीं हुआ है, जिससे साक्षीगण के कथनों पर अविश्वास किया जाये।

(19) अभियोजन साक्षी/डॉ. आर.के.नकरा (अ.सा.12) का कहना है कि उसने दिनांक 07.12.2008 को सहजल के शव परीक्षण में दाहिनी भुजा पर कटा हुआ घाव, हड्डी टूट के बाहर हो गई थी, बांयी जांघ भी हड्डी टूटकर बाहर आ गई थी, बांया हाथ भी कटा हुआ था। आहत के शरीर में छः घाव छिले हुए थे। शरीर पर गई जगह कटे हुए घाव थे, बांयी टांग पर भी कटे-फटे घाव होना पाया था। मृत्यु का कारण हड्डी टूट जाने और दुर्घटना के फलस्वरूप होना पाया था।

(20) अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी योगेश, जगदीश, विकास, कदयनलाल, कलीबाई एवं कायमीकर्ता मुरलीधर तथा विवेचनाकर्ता कप्तानसिंह उइके व डॉ.आर.के. नकरा एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में ऐसा कोई गम्भीर विराधोभास नहीं आया है और नहीं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत इन साक्षियों के कथनों का भी प्रतिपरीक्षण में खंडन हुआ है, जिससे अभियोजन द्वारा इन साक्षियों के कथनों पर अविश्वास किया जाये। जप्ती, गिरफ्तारी के साक्षियों ने भी जप्ती पंचनामा एवं गिरफ्तारी पंचनामा पर उनके हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, जिससे अभियोजन के प्रकरण की आंशिक पुष्टि होती है।

(21) आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि घटना के समय आरोपी वाहन को सामान्य गति से चला रहा था और आरोपी की कोई गलती नहीं थी, किन्तु आरोपी के अधिवक्ता ने इस संबंध में कोई साक्ष्य व प्रमाण पेश नहीं किया। आरोपी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि फरियादी ने बीमा राशि प्राप्त करने के लिए पुलिस से मिलकर झूठा प्रकरण पंजीबद्ध कराया और असत्य कथन किये हैं। इस संबंध में भी आरोपी के अधिवक्ता ने भी कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नहीं किये।

(22) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 07/12/2008 को दिन के करीब 02:00 बजे, बघोली लोकगार्ग पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन को संकटापन्न कारित किया एवं सहजल मर्सकोले को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती, किन्तु अभियोजन यह युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने उक्त घटना

दिनांक समय व स्थान पर ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 को बिना लायसेंस को चलाते हुए पाया गया।

(23) परिणाम स्वरूप आरोपी श्यामलाल को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181 के आरोप में दोषसिद्ध न पाते दोषमुक्त किया जाता है एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279, 304ए के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

(24) प्रकरण में आरोपी श्यामलाल पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं। आरोपी श्यामलाल को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

(25) दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(डी.एस.मण्डलोई)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

पुनश्च :-

(26) दण्ड के प्रश्न पर आरोपी श्यामलाल एवं आरोपी श्यामलाल के अधिवक्ता को सुना गया।

(27) आरोपी श्यामलाल के अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपी श्यामलाल का यह प्रथम अपराध है। आरोपी श्यामलाल की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। आरोपी श्यामलाल मजदूर पेशा ड्रायवर व्यक्ति है। यदि उसे कारावास से दण्डित किया जाता है तो उसको तथा उसके परिवार को काफी कठनाईयों को सामना करना पड़ेगा तथा उसका परिवार भूखे मर जायेगा। अतः आरोपी श्यामलाल को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

(28) आरोपी श्यामलाल के अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया।

(29) प्रकरण का अवलोकन किया गया।

(30) आरोपी श्यामलाल की पूर्व की दोषसिद्धि सम्बन्धी अभिलेख पर कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, किन्तु आरोपी श्यामलाल द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी श्यामलाल को कम से कम अर्थदण्ड से दण्डित करना उचित नहीं पाता हूँ। अतः आरोपी श्यामलाल द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी श्यामलाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 के आरोप में दण्डित न करते हुए उसके गुरुत्तर अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304ए के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं 500/- (पांच सौ) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर आरोपी श्यामलाल को एक माह के साधारण कारावास की सजा पृथक से भुगताई जावे।

(31) आरोपी श्यामलाल द्वारा निरोध में व्यतीत की गई अवधि के संबंध में द. प्र.सं. की धारा 428 के प्रावधानों के अनुरूप निरोध की अवधि का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

(32) प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.एच.31/सी.बी.3329 एवं वाहन से संबंधित दस्तावेज सुपुर्दगी पर है। उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् भारमुक्त हो। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

(33) निर्णय की एक प्रति आरोपी को निःशुल्क दी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित
खुले न्यायालय में घोषित किया गया। किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)